प्रेषक,

संख्याः38-भू0कय/18(1)/2007

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 01 फरवरी, 2008

विषयः— मै0एलकेमी ड्रग्स को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रूड़की के ग्राम खेलपुर नसरूल्लापुर में कुल 0.3056 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—369/भूमि व्यवस्था—भू0क0 दिनांक 4—5—2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0एलकेमी ड्रग्स को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम खेलपुर नसरूल्लापुर में कुल 0.3056 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....(2)

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ।

इकाई का उत्पाद "फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन्स"

7– भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1(10)/2001- एन0ई0आर0 दिनांक 7 जनवरी, 2003 के Annexure-II में दिये ग्रस्ट इण्डस्ट्रीज के क्रियाकलापों में सम्मिलित है। ग्रस्ट सैक्टर की इकाईयों को घोषित औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थनों से बाहर किसी भी भूमि पर स्थापित किये जाने में विशेष पैकेज का लाभ अनुगन्य होगा।

8– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)–2005 के अन्तर्गत GIDCR-2005 में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एंव भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य सीडा से लेआऊट स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा। प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्तों/नीतियो का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

13– इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्रग कण्ट्रोलेर से ड्रग लाइसेंस, पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी होगी।

14– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रश्नगत अनापत्ति/सहमति पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं के लिये आधार के रूप में उद्धत नहीं की जा सकेगी।

.....(3)

15– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है। औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

16– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी ।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
•4– श्री आफताब आलम, पार्टनर, मै0एलकेमी ड्रग्स, निवासी 110 हसपुर औरंगाबाद, बिहार।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।